लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.: 2895
उत्तर देने की तारीखः 13.03.2018

घूमंतु महिलाएँ और बच्चे

+ **2895. श्री प्रतापराव जाधवः**

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में घूमंतु महिलाओं और बच्चों की संख्या संबंधी कोई सर्वे करवाया है;
(ख) यदि हां, तो देश के विभिन्न भागों में ऐसी महिलाओं और बच्चों की कुल संख्या कितनी है;
(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
(घ) क्या सरकार इन महिलाओं और बच्चों को समाज की मुख्य धारा में लाने हेतु कोई योजना तैयार कर रही है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री
(श्री कृष्ण पाल गुर्जर)

(क): जी, नहीं।

(ख): उपरोक्त (क) के मद्देनजर, प्रश्न नहीं उठता।

(ग): घुमन्तू जनजातियों के भ्रमणकारी स्वभाव तथा घुमन्तू जनजातियों की स्पष्ट परिभाषा नहीं होने के कारण, कोई विस्तृत सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(घ) और (ड.): सरकार डीएनटी के कल्याण के लिए पहले से ही निम्नलिखित योजनाओं का कार्यान्वयन कर रही है, नामतः

(i) डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना

वर्ष 2014-15 से इस केंद्रीयकृत प्रायोजित योजना का आरंभ उन डीएनटी विद्यार्थियों के कल्याण के लिए किया गया है जो एससी, एसटी अथवा ओबीसी के तहत नहीं आते हैं । योजना हेतु पात्रता के लिए आय की सीमा 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है। उक्त योजना

को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। केंद्र तथा राज्यों के बीच व्यय की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है।

मैट्रिकपूर्व छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार हैः

कक्षा I से VIII	10 माह के लिए 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी
कक्षा IX से X	10 माह के लिए 1500 रुपए प्रति विद्यार्थी

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की दर निम्नानुसार हैः

छात्रावासी	10 माह के लिए 380 रुपए से 1000 रुपए प्रति विद्यार्थी
दिवा-छात्र	10 माह के लिए 230 रुपए से 550 रुपए प्रति विद्यार्थी

इस योजना के अंतर्गत आवंटित निधि तथा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा अनुबंध में दिया गया है।

(ii) डीएनटी बालकों और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना।

2014-15 से आरंभ इस केंद्रीयकृत प्रायोजित योजना को राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों/केंद्रीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है। इस योजना का उद्देश्य उन डीएनटी विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सक्षम बनाने की दृष्टि से छात्रावास की सुविधाएं मुहैया करवाना है जो एससी, एसटी अथवा ओबीसी के तहत नहीं आते हैं। योजना हेतु पात्रता के लिए आय की सीमा 2.00 लाख रुपए प्रति वर्ष है।

केंद्रीय सरकार देश भर में प्रति वर्ष अधिकतम 500 सीट मुहैया करवाती है। फर्नीचर के लिए 5000/- रुपए प्रति सीट सहित लागत मानदंड 3.00 लाख रुपए प्रति सीट हैं। केंद्र और राज्यों के बीच व्यय की हिस्सेदारी का अनुपात 75:25 है।

योजना के आरंभ होने के बाद केवल मध्य प्रदेश सरकार ने डीएनटी के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु निधि मांगी है।

(iii) **उपर्युक्त के अलावा, वर्ष 2017-18 से "अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) के कल्याण के लिए स्वैच्छिक संगठनों को सहायता" योजना को "अन्य पिछड़े वर्गों (ओबीसी)/विमुक्त, घुमन्तू तथा अर्ध-घुमन्तू जनजातियों (डीएनटी)/आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों (ईबीसी) के कौशल विकास के लिए सहायता की केंद्रीय क्षेत्र योजना" के रूप में डीएनटी तथा ईबीसी के लिए लागू किया गया है।**

अनुबंध

2014-15 (06.03.2018 की स्थिति के अनुसार) से "डीएनटी विद्यार्थियों के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" के तहत जारी की गई निधियों तथा लाभार्थियों की संख्या का विवरण

(धनराशि तथा लाभार्थियों की संख्या लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2014-15				2015-16				2016-17				2017-18			
		बजट अनुमान (बअ)	संशोधित अनुमान (सअ)	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	बजट अनुमान (बअ)	संशोधित अनुमान (सअ)	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	बजट अनुमान (बअ)	संशोधित अनुमान (सअ)	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या	बजट अनुमान (बअ)	संशोधित अनुमान (सअ)	जारी निधि	लाभार्थियों की संख्या
1	गुजरात	500.00	400.00	0.00	0	500.00	400.00	0.00	0	500.00	450.00	0.00	0	600.00	600.00	539.25	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा लाभार्थियों की संख्या का ब्यौरा बाद के वर्ष के प्रस्ताव के साथ मुहैया करवाया जाता है।
2	हिमाचल प्रदेश			0.00	0			0.00	0			178.35	$			0.00	
3	जम्मू और कश्मीर			0.00	0			0.00	0			47.55	$			0.00	
4	कर्नाटक			200.00	$			0.00	0			0.00	0			0.00	
5	महाराष्ट्र			150.00	3.76			378.11	2.56			224.10	$			0.00	
6	राजस्थान			0.00	0			71.89	$			0.00	0			0.00	
7	चंडीगढ़			0.00	0			0.00	0			0.00	0			0.75	
	कुल	**500.00**	**400.00**	**350.00**	**3.76**	**500.00**	**450.00**	**450.00**	**2.56**	**500.00**	**450.00**	**450.00**	**0**	600.00	600.00	540.00	

नोट-1: '$' आंकड़े प्रतीक्षित दर्शाता है।

नोट-2: "डीएनटी के लिए डॉ. अंबेडकर मैट्रिकपूर्व तथा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना" और "डीएनटी बालकों तथा बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की नानाजी देशमुख योजना" हेतु संयुक्त रूप से बजट आवंटित किया जाता है।